

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना



बेटी मेरी शक्ति

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की कन्या के नाम ₹2000/- की एक-मुश्त राशि अनुदान स्वरूप बैंकों में निवेश की जाती है। परिपक्वता राशि कन्या के 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत देय होगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम आँगनबाड़ी से संपर्क करें।